

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2651]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2017/भाद्र 22, 1939

No. 2651]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2017/BHADRA 22, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2017

का.आ. 3028(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1272(अ), तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को तारीख 31 मार्च, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, बगदारा वन्यजीव अभयारण्य 478.00 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिला में स्थित है;

और, बगदारा वन्यजीव अभयारण्य भारत के बेहतरीन अभयारण्य में से एक है इसकी अपनी अनूठी विशेषताएं हैं; यह मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिला के "कैमूर पहाड़ियों" में स्थित है; अभयारण्य लुप्तप्राय प्रजातियां ब्लैक बक को देखने के लिए प्रसिद्ध है; कैमूर वन्यजीव अभयारण्य (उत्तर प्रदेश) बगदारा अभयारण्य के उत्तर में निकट स्थित है, इसलिए उनकी जाति के लिए पशुओं के गलियारों का प्रयोग किया जाता है; संरक्षित वन क्षेत्र 213.047 किलोमीटर है और बाकी राजस्व क्षेत्र 246.953 किलोमीटर है और अभयारण्य में आरक्षित वन क्षेत्र नहीं है;

अभयारण्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अंतः राज्य सीमा की उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा है और सोन नदी की दक्षिणी सीमा है जो कि सोन घड़ियाल अभयारण्य में अधिसूचित है;

और, वन्यजीव अभयारण्य सिद्धि और सिंगरौली वन भू-भाग के वनस्पति और जीवजन्तु विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है और चैंपियन और सेठ प्रति के वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है ;

और, अभयारण्य से वृक्षों की 145 प्रजातियों को दर्ज किया गया है, जिसमें वृक्ष की 63 प्रजातियाँ, जडी बूटियों और झाड़ियों की 23 प्रजातियाँ, 18 पर्वतारोहियों और परजीवी, 21 घास और बांस की प्रजातियाँ और जलीय पौधों की 20 प्रजातियाँ शामिल है;

और, अभयारण्य में तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, लोमड़ी, सियार, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, काला हिरण, बनैला सूअर, रीछ, विभिन्न सरीसृप प्रजातियों और पक्षियों की 90 प्रजातियों का वास प्रदान है।

और, बगदारा वन्यजीव अभयारण्य में महत्वपूर्ण जीवजन्तु प्रजातियाँ हैं जिसमें बंदर रेड माउथ (सेमनोपीथकुस जाति), बंदर ब्लैक माउथ (परेसबयटीस इंटेल्लुस), रीछ (मेलर्सस अरसिनस), मुंजक (मुनटीक्स मुनतजक) भारतीय रैटल (मेलीवोरा कपेंसिस), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), लकड़बग्घा (हैना हैना), सामान्य भारतीय हेअर (लेपुस निगरीकोलिस), काला हिरण (अंतीलोपा केरवीकापरा), सियार (कैनिस अयरेयुस), लोमड़ी (वुलपेस बेंगोलेन्सिस), जंगली चूहा (अंदीकोटस बेंगोलेन्सिस), भारतीय नेवला (हेरपसटेस इडमारदी), ब्लू बुल (बोसेलाफुस टरागोकमेलुस), सांभर (रूसा यूनीकोर्लर), साही (हायस्ट्रीक्स इंडिका), जंगली कुत्ता (कुओन अल्पाइंस), भारतीय बनैला सूअर (सूस स्कोफी), तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), भारत छोटा क्लॉटर (अमबलोअयक्स किनेरा), बाघ (पैंथेरा टाइगरिस) सम्मिलित है;

और, बगदारा वन्यजीव अभयारण्य में सटीकता की आवृत्ति के साथ पक्षी पाए जाते हैं जैसे बब्बलर सामान्य (टुरदोइदेस कैडैटुस), बब्बलर जंगल (सेविन सिस्टर) (टुरदोइदेस स्ट्रेटस), पतेना छोटा हरा (मेरोपेस ओरिंएटलिस), बुलबुल लाल वेंटेड (पायकेनोनोटुस कैफरा), बुश चैट पिइड (सैक्सइकोला कापराता), चाट ब्राउन राँक (केरकोमेला फुस्का), कोरमोरांती लिट्टल (फालाकरोकोरक्स निगर), कौआ हाउस (करवयस स्पेदेंस), कौआ तीतर (कोयकल) (केंटरापुस सीनेंसिस), कौआ जंगल (ओरवअस अकरोरयंचोस), कुकको कुकको पिइड रेसटस (कलामासटर जाकोबीनुस), कबूतर रिजड (स्टेपटोपेलिया डेकाओटो), डव लिटिल ब्राउन (स्टेपटोपेलीअ सेनेगोलेंस), डव लाल कछुआ (स्टेपटोपेलीअ टरांक्यूबर), ड्रोंगो ब्लैक (किंग कौआ) (डिकरूरुस अदसिमिलिस), बत्तख ब्रामिहनी रूड्य सेलदराके (टेदोरना फेरूंगीन्डअ), बत्तख काम्ब (अरकीदीओरनीस मेलानोटोस), चील क्रिसटेड हॉवक (स्पीजतुस कीर्हातुस), इग्रेट केट्टल (बुलबुलकुस इबीस), इग्रेट लिट्टल (इगरेट्टा गरजेट्टा);

और, सरीसृप चित्ती (पायथोन मोल्यरसूस), धामन (जेमनिस मुकोसुस), गोह (वरुनुस जाति), हरा साँप (लाचेसिस जाति), काला साप (नाजा बुंगरूस), नाग (नाजा नाजा), आर्थिक महत्वपूर्ण कीड़ें-मकौड़े दीमक (इसोपतेरा ऑरंडर), मधु (कयमेनोपटेरूस), मछली वाम (सतकेमबालुस अरमातुस), चान्ना (अमबासिस नामा), चाइया (चान्ना मरुलिअस), हिल्सा (हील्सा हिल्सा), मगुर (कलारीअस बेटराकुस), सिंधारा (मयस्टूस सेइंघाला), पदान (वाल्लागो जाति), रोहु (लाबेओ रीहीता) है;

और, बगदारा वन्यजीव अभयारण्य की महत्वपूर्ण वनस्पति प्रजातियां हैं, बगदारा अभयारण्य की वनस्पति के स्थानीय, मानकीकृत, वनस्पति- विज्ञान की शब्दकोष के पौधों के नाम मारोर्फलि (*हेलिकटेरेस इसोरा*), आम (मैंगो) (*मंगिफेरा इंडिका*), अमलतास (*कैसिया फिसतुला*), अमारबेल (*कुसकुट्टा रेफलेक्वा*), खातुअ (*अंतीदेसमास दीअंदरूम*), अमारा (*सपोंदीअस पिन्नाटा*), अमता (*बेंयहीनीअ मालाबरीका*), अधु कामीनी (*मुराया पनीकुल्लाटा*), ओन्ला (*इंबिका ओफिकीनालिस*), बाबुल (*अकेसिया अरबिका*), बहेरा (*टरमीनालिया बेलेरिका*), बाइबारांग (*इमबिल्व अ तेजेरीअमकोट्टाम*), बमबो (*देंदरोकालामुस स्टीकतुस*), सफेद सिरिस (*अलबीजिया परोकेरा*), बांसुली (*गरेवेआ रोती*), बरगद (*फिकुस बेंगालेसनिस*), भावा धांदा (अरूनदो दोनाक्स), बेल (*एगले-मरमेलोस*), बेर (*जिजियफुस जुजुबे*), भिल्वा (*सेमिकारपुस अनाकरदीअम*), नेइल (*इंदीगोफेरा टींकटोरीअ*), भिर्रा (*चलारोक्यलों स्वीटेनीआ*), बीजा (*पटेरोकारपुस मारसुपीअम*), तरोटा (*कसिसिया तोरा*), अचार (*बुचान्नाअ लांजन*) हैं;

और, बगदारा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिक की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गों और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में बगदारा वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा के एक किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को बगदारा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन बगदारा वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा के एक किलोमीटर तक विस्तारित है पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का क्षेत्रफल 12.886 वर्ग किलोमीटर है।

(2) बागदारा वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी और पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच अन्तरराज्यीय सीमा से परस्पर मिलती है और सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बागदारा वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा गठित करता है।

(3) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले एक ग्राम बाघोर के निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि और बागवानी ;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पारिस्थितिक पर्यटन सहित पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगर और शहरी विकास;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्वर्धन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 के सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित कार्यकलापों का अनुपालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने का सुनिश्चय किया जा सकेगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग—(क)** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पाकों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि और अन्य भूमियों का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है तथा क्रियाकलापों के लिए जैसे:—

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और
- (v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन.**—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :—

- (i) बागदारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार तक, इसमें जो भी नजदीक हो होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक

नए होटल और रिसोर्टों की स्थापना को पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.**—जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.**—परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचालन के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.**—लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.**—(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर प्रदूषण कारित करने वाले नए उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.**—पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का विनिर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार की जाएगी।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

6.	फर्मों, कंपनियों, द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे अन्यथा नहीं।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
8.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	पाँलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
11.	नई काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
12.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	<p>पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं।</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल एवं रिसोर्टों को ही अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं।</p>
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग;</p> <p>(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और</p>

		(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संबंधित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
16.	बकरी पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के विछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के विछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
20.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
22.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
25.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन

	कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियों दुग्ध उत्पादन जल कृषि और मत्स्य पालन।	विनियमित होंगे।
26.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्चाव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्चाव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्चावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
27.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग. संबंधित क्रियाकलाप		
33.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति.—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

- | | | |
|-------|---|-----------|
| (i) | प्रभागीय आयुक्त, रीवा प्रभाग | —अध्यक्ष; |
| (ii) | जिला कलक्टर, जिला सिंगरौली | —सदस्य; |
| (iii) | अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंगरौली | —सदस्य; |
| (iv) | अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य विभाग, सिंगरौली | —सदस्य; |
| (v) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली | —सदस्य; |
| (vi) | नगर योजना विभाग का एक प्रतिनिधि | —सदस्य; |
| (vii) | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि | —सदस्य; |

- (viii) होटलों और लॉजों के संगम का प्रतिनिधि, सिंगरौली(किसी भी नाम के द्वारा) —सदस्य;
- (ix) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य —सदस्य;
- (x) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा —सदस्य;
- (xi) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय का नामनिर्दिष्ट पारिस्थिति और पर्यावरण क्षेत्र का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेषज्ञ -सदस्य;
- (xii) क्षेत्रीय निदेशक, संजय बाघ आरक्षित, जिला सिद्धि —सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन.—(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर संबद्ध पार्क उपवन संरक्षक का ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।


7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए होंगे।


[फा. सं. 25/83/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I



Proposed Eco Sensitive Zone of Bagdara Sanctuary, Sidhi M.P.



बगदारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ भौगोलिक स्थिति प्रणाली के निर्देशांक बिंदु

क्र.सं.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1.	इ 01	82° 19.901'पू	24° 36.748'उ
2.	इ 02	82° 25.040'पू	24° 35.460'उ
3.	इ 03	82° 24.492'पू	24° 40.850'उ
4.	इ 04	82° 27.130'पू	24° 40.462'उ
5.	इ 05	82° 31.441'पू	24° 40.538'उ
6.	इ 06	82° 35.696'पू	24° 40.089'उ
7.	इ 07	82° 40.295'पू	24° 41.788'उ
8.	इ 08	82° 42.501'पू	24° 38.156'उ
9.	इ 09	82° 46.456'पू	24° 38.466'उ
10.	इ 10	82° 46.267'पू	24° 36.382'उ
11.	इ 11	82° 40.231'पू	24° 35.043'उ
12.	इ 12	82° 31.576'पू	24° 31.136'उ
13.	इ 13	82° 25.695'पू	24° 32.635'उ
14.	इ 14	82° 19.499'पू	24° 35.053'उ

पारिस्थितिक संवेदी जोन में बगदारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ भौगोलिक स्थिति प्रणाली के निर्देशांक बिंदु

क्र.सं.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1.	इ01	82° 18.000'पू	24° 36.413'उ
2.	इ02	82° 19.424'पू	24° 34.503'उ
3.	इ03	82° 20.445'पू	24° 33.647'उ

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन में बगदारा वन्यजीव अभयारण्य के भौगोलिक निर्देशांकों के ग्रामों की सूची

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	गांव का नाम	जिला	अक्षांश	देशांतर
01	सिद्धि	बघोर	सिंगरौली	24°34'8.108"	82°19'1.198"

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2017

S.O. 3028(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1272(E), dated 31st March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 31st March, 2016;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Bagdara Wildlife Sanctuary is spread over an area of 478.00 square kilometers and is situated/located in Singrauli district in the State of Madhya Pradesh;

AND WHEREAS, Bagdara Wildlife Sanctuary is one of the finest sanctuaries of India for its unique features, situated on the 'Kaimur hills' located in the Singrauli district of Madhya Pradesh; the Sanctuary is famous for sure sighting of the endangered species Black buck; the Kaimur Wild Life Sanctuary (Utter Pradesh) is located in continuity in north of the Bagdara Sanctuary, so the animals are using the corridor frequently for their movements; the protected forest area is 213.047 kilometers and rest 246.953 kilometers is the revenue area and there is no reserved forest area in the Sanctuary; the northern, eastern and majority western boundary of the Sanctuary is the inter-state boundary of Madhya Pradesh and Utter Pradesh and the southern boundary is Son River which is notified at Son Gharial Sanctuary;

AND WHEREAS, the Bagdara Wildlife Sanctuary represents the floral and faunal attributes of the Sidhi and Singrauli forest landscape and as per Champion and Seth classification has Northern Dry Mixed Deciduous Forest;

AND WHEREAS, 145 species of plants have been documented from the Sanctuary which includes 63 tree species, 23 herbs and shrubs species, 18 climbers and parasites, 21 grasses and bamboo species of aquatic plants;

AND WHEREAS, the Sanctuary harbours panther, wolf, hyena, fox, jackal, chital, sambhar, nilgai, chinkara, black buck, wild bor, sloth bear, various species of reptiles and 90 species of birds;

AND WHEREAS, the important faunal species of the Bagdara Wildlife Sanctuary include fauna of Bagdara Sanctuary Monkey with red mouth(*Semnopithecus species*), Monkey with black mouth(*Presbytis entellus*), Sloth bear(*Melursus ursinus*), Barking deer(*Mutiacus muntjak*), Indian ratel(*Melivora capensis*), Spotted deer(*Axis axis*), Hyaena(*Hyaena hyaena*), Common Indian hair(*Lepus nigricolis*), Black Buck(*Antelope cervicapra*), Jackal(*Canis aureus*), Fox(*Vulpes bengalensis*), Wild rat(*Andicots bengalensis*), Indian mongoose(*Herpestes edwardi*), Blue bull(*Boselaphus tragocamelus*), sambar(*Cervus unicolor*), Porcupine(*Hystrix indica*), Wild dog(*Cuon alpinus*), Indian wild boar(*Sus scrofa*), Panther(*Panthera pardus*), India small clawotter(*Ambloayx cinera*), Tiger(*Panthera tigris*);

AND WHEREAS, the Birds found in Bagdara Wildlife Sanctuary with their frequency of occurrence are Babbler common(*Turdoides caudatus*), Babbler Jungle (seven sister) (*Turdoides striatus*), Bee-eater small green(*Merops orientalis*), Bulbul red vented(*Pycnonotus cafer*), Bush chat pied(*Saxicola caprata*), Chat brown rock(*Cercomela fusca*), Cormorant Little(*Phalacrocorax niger*), Crow house(*Carvus splendens*), Crow pheasant (Coucal) (*Centropus sinensis*), Crow jungle(*Orvus acrorhynchos*), Cuckoo pied crests(*Clamastor jacobinus*), Dove ringed(*Streptopelia decaocto*), Dove little brown(*Streptopelia senegalensis*), Dove red turtle(*Streptopelia tranquebar*), Drongo Black (king crow) (*Dicrurus adsimilis*), Duck bramihny (Ruddy sheldrake) (*Tedorna ferrunginea*), Duck comb(*Arkidiornis melanotos*), Eagle crested hawk(*Spizaetus cirrhatus*), Egret cattle(*Bulbulcus ibis*), Egret little(*Egretta garzetta*);

AND WHEREAS, the Reptiles are Chitti(*Python molurus*), Dhaman(*Zamenish mucosus*), Goh(*varanus species*), Green snake(*Lachesis species*), Black snake(*Naja bungarus*), Nag(*Naja naja*), Insects of Economic importance are Deemak(*Isoptera* (order), Madhu(*Kymenopterus*), Fishes are Bam(*Mastacembalus armatus*), Channa(*Ambasis nama*), Chainya(*Channa marulius*), Hilsa(*Hilsa hilsa*), Magur(*Clarius betracus*), Singhara(*Mystus seenghala*), Padan(*Wallago species*), Rohu(*Labeo rihita*);

AND WHEREAS, the important floral species of the Bagdara Wildlife Sanctuary Flora of Bagdara Sanctuary Glossary of local, standarised, botanical name of plants are, Marorphali (*Helicteres isora*), Aam (mango) (*Mangifera indica*), Amaltas(*Cassia fistula*), Amarbel(*Cuscutta reflexa*), Khatua(*Antidesmas diandrum*), Amara(*Spondias pinnata*), Amta(*Bauhinia malabarica*), Adhu kamini(*Murraya panicullata*), Aonla(*Emblica officinalis*), Babul(*Acacia Arabica*), Bahera(*Terminalia belerica*), Baibarang(*Embilia tajariamcottam*), Bamboo(*Dendrocalamus*

strictus), Safed siris(*Albizia procera*), Bansuli(*Grewia rothii*), Bargad(*Ficus bengalensis*), Bahva-Danda(*Arundo donax*), Bel(*Aegle marmelos*), Ber(*Zizyphus jujube*), Bhilwa(*Semecarpus anacardium*), Neel(*Indigofera tinctoria*), Bhirra(*Chloroxylon swietenia*), Bija(*Pterocarpus marsupium*), Tarota(*Cassia tora*), Achar(*Buchanania lanzan*);

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the Bagdara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-section (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of one kilometer from the Western boundary of the Bagdara Wildlife Sanctuary, in the State of Madhya Pradesh as the Bagdara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The extent of Eco-sensitive Zone is one kilometer from the Western boundary of the Bagdara Wildlife Sanctuary and the area of Eco-sensitive Zone is 12.886 square kilometers.

(2) The Northern and Eastern boundary of the Bagdara Wildlife Sanctuary overlaps with the inter-State boundary between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and the Son Gharial Wildlife Sanctuary forms the Southern boundary of the Bagdara Wildlife Sanctuary.

(3) The map of Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as Annexure I.

(4) The coordinates of one village viz., Baghor which falls within the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure II.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of their notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:—

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture and Horticulture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism including eco-tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal and Urban Development;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

1. Landuse.—(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents such and for activities as,-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities and given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers, channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Bagdara Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer and beyond the distance of 1 kilometer from the boundary of the said Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;

(a) the inorganic material may be disposed in an environmental by acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone .

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:-

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and the efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) Industrial units.- (i) No new polluting industries shall permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of

		Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet their residential needs. (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) promoted activities listed in this Notification. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
16.	Goat farming.	Regulated under applicable laws.
17.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws.
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
20.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.

22.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
23.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
26.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
27.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
28.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
29.	Solid waste management/bio-medical waste management.	Regulated under applicable laws.
30.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
32.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
38.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise the following namely:-

- | | | |
|-------|---|------------|
| (i) | Divisional Commissioner Division, Rewa | —Chairman; |
| (ii) | District Collector Singrauli District | —Member; |
| (iii) | Superintending Engineer PWD Rewa | —Member; |
| (iv) | Superintending Engineer Public Health Department Rewa | —Member; |

- | | | |
|--------|--|--------------------|
| (v) | CEO, District Panchayat Singrauli | —Member; |
| (vi) | Representative of the Town and Country Planning Department | —Member; |
| (vii) | Representative of the Pollution Control Board Singrauli | —Member; |
| (viii) | A representative of the Association of Hotels and Lodges of Singrauli (By whatever name known) | —Member; |
| (ix) | Member, State Biodiversity Board | —Member; |
| (x) | One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years year in each case | —Member; |
| (xi) | One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case | —Member; |
| (xii) | Field Director Sanjay Tiger Reserve District, Sidhi | —Member Secretary. |

6. Terms of reference.—(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years.

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure III**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.


7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.


[F. No. 25/83/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure-I



Proposed Eco Sensitive Zone of Bagdara Sanctuary, Sidhi M.P.



Geographical Positioning System Co-ordinates of points along the boundary of Bagdara Wildlife Sanctuary

S.No.	Gps	Longitude	Latitude
15.	E01	82 ⁰ 19.901'E	24 ⁰ 36.748'N
16.	E02	82 ⁰ 25.040'E	24 ⁰ 35.460'N
17.	E03	82 ⁰ 24.492'E	24 ⁰ 40.850'N
18.	E04	82 ⁰ 27.130'E	24 ⁰ 40.462'N
19.	E05	82 ⁰ 31.441'E	24 ⁰ 40.538'N
20.	E06	82 ⁰ 35.696'E	24 ⁰ 40.089'N
21.	E07	82 ⁰ 40.295'E	24 ⁰ 41.788'N
22.	E08	82 ⁰ 42.501'E	24 ⁰ 38.156'N
23.	E09	82 ⁰ 46.456'E	24 ⁰ 38.466'N
24.	E10	82 ⁰ 46.267'E	24 ⁰ 36.382'N
25.	E11	82 ⁰ 40.231'E	24 ⁰ 35.043'N
26.	E12	82 ⁰ 31.576'E	24 ⁰ 31.136'N
27.	E13	82 ⁰ 25.695'E	24 ⁰ 32.635'N
28.	E14	82 ⁰ 19.499'E	24 ⁰ 35.053'N

Geographical Positioning System Co-ordinates of points along the boundary of Eco-sensitive Zone of Bagdara Wildlife Sanctuary

S.No.	Gps	Longitude	Latitude
4.	E01	82 ⁰ 18.000'E	24 ⁰ 36.413'N
5.	E02	82 ⁰ 19.424'E	24 ⁰ 34.503'N
6.	E03	82 ⁰ 20.445'E	24 ⁰ 33.647'N

Annexure-II

Villages with Geographical Coordinates within the Eco-sensitive Zone of Bagdara Wildlife Sanctuary

Sl.No.	Name of Division	Name of Village	District	Latitude	Longitude
01	Sidhi	Baghor	Singrauli	24 ⁰ 34' 8.108"	82 ⁰ 19' 1.198"

Annexure-III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.